अध्याय 7: निष्कर्ष

यह योजना को 1965 में लागू की गई तथा 1986 में संशोधन कर दिया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार के पूंजीगत माल और देश आधारित निर्माण क्षमता को बढाने, औद्योगिक संयंत्रों में स्पेयर पार्टस का उपयोग, और तदुपरान्त आयातकों को आयातित माल की सीमा शुल्क निकासी में एकल वर्गीकरण एकल दर सरलीकरण में तेजी लाना है।

हालांकि, इसमें पिछले 15 वर्षों के दौरान शुल्क ढांचे का सरलीकरण संशोधन/ तथा एक औद्योगिक संयत्र अथवा परियोजना को प्रारम्भ करने के लिए अपेक्षित माल की श्रेणियों में शुल्क की दर को कम किया गया है। ऐसे ईपीसीजी शून्य शुल्क ईपीसीजी और अन्य व्यापार को बढ़ावा देने के उपय के रूप में अन्य योजनाओं के निर्माता-निर्यातक के लिए पूंजीगत वस्तुओं के लिए समान प्रकार के लाभ उपलब्ध कराने की आयात परियोजना शुरू की गयी।

यद्यपि राजस्व विभाग ने बताया कि इस योजना का ईपीसीजी जैसी अन्य योजनाओं की बजाए अपना अस्तित्व है, कयोंकि यह निर्यात दायित्वों के साथ ठप नहीं पड़ती।

वि. व. 12 से वि. व. 16 के दौरान अधिकतर पंजीकृत ठेकों में गिरावट आयी तथा इन वर्षों के दौरान, योजना के तहत राजस्व सृजन और पंजीकृत नए ठेकों की प्रतिशतता लगभग आधी (49 प्रतिशत) हुई है तथा परियोजना से राजस्व 40 प्रतिशत कम हुआ। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए परियोजना आयात स्कीम पर निष्पादन सवींक्षा की गई थी।

योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा ने सांविधिक प्रावधानों में उन कमियों/अन्तर को दर्शाया जिसने कानून के असंगत अनुप्रयोग के अवसर बनाए है।

अनुपालन मामलों पर लेखापरीक्षा आपतितयां योजना क्रियान्वयन में संपूर्ण अक्षमता तथा विभाग की ओर से अपूर्ण कार्यवाही की सूचक है। कुछ व्यापार सुविधा उपायों पर डाटा तथा सूचना की तुलना करने पर लेखापरीक्षा ने यह निष्कर्ष निकाला है कि व्यापार सुविधा के लाभ परियोजना आयात को प्राप्त नहीं हुए हैं। वास्तव में अधिक संव्यवहार लागतें मध्यम तथा लघु स्तर के आयातको निर्माताओं को योजना के लाभ लेने से दूर रख सकती थी।

अंततः ईडीआई सिस्टम के साथ परियोजना आयात योजना के समेकन का अभाव याजना के बेहतर क्रियान्वयन तथा मॉनीटरिंग के लिए सबसे बड़े चूक मामलों में से एक है।

कुल मिलाकर उक्त निष्कर्ष दर्शाते हैं कि परियोजना आयात योजना पूंजीगत आयात तथा शुल्क ढ़ांचे के युक्तिकरण हेतु तथा नई अधिक लाभकारी योजनाओं के संदर्भ में इसके उपयोग को समाप्त कर सकती है। राजस्व विभाग ने स्वीकार किया कि स्वदेशीकरण की वृद्धि के कारण आयातित प्रोद्योगिकी और मशीनरी पर कम भरोसा करने की जरूरत है और यह भी कि सभी छूटें जीएसटी के कार्यान्वयन के संदर्भ में समीक्षा के अधीन है इस प्रकार इस योजना की समीक्षा और अन्तर मंत्रालयी परामर्श के माध्यम से नई परियोजनाओं के पुर्नारम्भ करने के लिए सही समय है।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा में ₹ 203 करोड़ के प्रणालीगत मुद्दों के साथ-साथ, ₹ 1,822 करोड़ का राजस्व निहितार्थ है जिसकी आंतरिक नियंत्रण मामले जिनकी मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती के अतिरिक्त मौजूदा नियमों और विनियमों में अनियमितता और अस्पष्टता के कारण वसूली नहीं की जा सकती।

नई दिल्ली **(शेफाली एस अंदलीब)**

दिनांक : 24 जनवरी 2017 **प्रधान निदेशक (सीमा शुल्क)**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**

दिनांक : 24 जनवरी 2017 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**